

(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 536-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 6-2-2016
पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 5/2014-15/अपील.

खेमसिंह पुत्र लालाराम कुशवाह
निवासी ग्राम गिरवाई
लशकर, ग्वालियर

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक


श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक एवं
श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक-आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक-अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/4/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2014 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/2014-15/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 एवं सहपठित संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र







प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-2-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, किन्तु संलग्न दस्तावेज रिकार्ड में लिये बिना प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचाराधीन आवेदन पत्र संहिता की धारा 52 दिनांक 18-11-2014, संहिता की धारा 32 दिनांक 1-12-2014 व संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र का बिना निराकरण किये प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना, और सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत करने में त्रुटि की गई है । इस आधार पर कहा गया कि बिना आवेदन पत्रों का निराकरण किये प्रकरण में अन्तिम तर्क सुनकर गुण-दोष पर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 7216/2014 आदेश दिनांक 24-11-2014 का पालन नहीं करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।


4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के निराकरण में आवेदक रुचि नहीं ले रहा है । यहाँ तक कि उनके समक्ष संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भी तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और इस न्यायालय में इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया गया है । स्पष्टतः परिलक्षित है कि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील का निराकरण नहीं चाहा गया है जबकि उसे अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के शीघ्र निराकरण कराने हेतु सहयोग करना चाहिये । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर